संख्या- 59/2020-1969/58-2020-118/2016

प्रेषक,

मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 दिसम्बर, 2020**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्याज बीज की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने सं0-110/बजट/आई0टी0सेल/ 2020-21, दिनांक 06.11.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं यथा-एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत डी.बी.टी. के माध्यम से क्रियान्वयन के सम्बन्ध में व्यवस्था लागू है। जिन 26 जनपदों में प्याज बीज की आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा बीज उपलब्ध न होने के कारण असमर्थता व्यक्त की गयी है, उन जनपदों में प्याज बीज की अनुपलब्धता के दृष्टिगत किसानों/राजकीय हित में प्याज के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020-21 में डी.बी.टी के माध्यम से निम्नवत् व्यवस्था की जाती है-

प्याज बीज की गुणवत्ता की सुनिश्चितता हेतु सीधे जनपदीय उद्यान अधिकारियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नैफेड) एवं नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एण्ड रिटेलिंग को-आपरेटिव ऑफ इण्डिया लिमिटेड (नैकाफ) से उनकी दरों पर क्रय कर चयनित लाभार्थी कृषकों को अनुमन्य अनुदान की सीमा तक उपलब्ध कराया जायेगा।

अथवा

विभाग में संचालित संकर शाकभाजी उत्पादन परियोजना की भांति लहसुन एवं प्याज बीज की गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार किया जायेगा। पंजीकृत/चयनित कृषकों द्वारा स्वेच्छानुसार बीजों का क्रय मूल उत्पादक फर्म/कम्पनियों/ डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/सीड एक्ट-1966 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत/लाइसेंसधारी बीज विक्रताओं से एम.आर.पी. से अनधिक दरों पर (आवेदित क्षेत्रफल हेतु

http://gnasanadesh.up.gov.in

निर्धारित मात्रा की रोपण सामग्री) नकद मूल्य पर क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषक द्वारा बीज क्रय रसीद सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं में रोपण सामग्री एवं अन्य कृषि निवेशों पर देय अनुदान प्रदेश के पंजीकृत/चयनित कृषकों को डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर के माध्यम से कृषकों के बैंक खाते में सीधे भुगतान किये जाने/उपलब्ध कराने सम्बन्धी शासनादेश सं0-912/58-2016-118/2016, दिनांक 07.04.2016, शासनादेश सं0-39/2018-1419/58-2018-118/2016, दिनांक 26.06.2018, शासनादेश सं0-24/2019-1017/58-2019-118/2016, दिनांक 04.06.2019 एवं शासनादेश सं0-47/2020 -1408/58-2020-118/2016, दिनांक 24.09.2020 के शेष बिन्दु यथावत् हैं। उपरोक्तानुसार योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 59/2020-1969(1)/58-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, उद्यान विभाग, उ0प्र0शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन।
6. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उ0प्र0।
9. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0पी0 पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in